मध्यप्रदेश वक़्फ़ बोर्ड,

(केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 के अंतर्गत म. प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस, नियर ताजुल मसाजिद, भोपाल, फोन : 0755–2543175
E-mail: mpwaqfboardbhopal@gmail.com, ceomp@wakf.gov.in - Website : www.mpwaqfboard.org

क्र. 35 / ITCELL / 2021 / भोपाल, दिनांक

परिपत्र

वक्फ सम्पत्तियों पर कमर्शियल डेव्लपमेंट हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने बाबत।

नेश्नल वक्फ डेव्लपमेंट कारपोरेशन, भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली (NAWADCO)द्वारा वक्फ सम्पत्तियों के कमर्शियल डेव्लपमेंट की Financer-cum-consultant के नाम से 20 जुलाई 2020 को एक नई योजना बनाई गई है। उक्त स्कीम के अंतर्गत जो वक्फ संस्था लाभांवित होना चाहते हैं वह निम्न 10 बिन्दुओं पर आधारित जानकारी नवाडको को विधिवत प्रक्रिया पूर्ण कर भेज सकते हैं :–

1. Letter of Intent for Financial Support addressed to the Managing Director, NAWADCO. clearly mentioning the Name of Project Proposal alongwith the amount requirement.
   प्रबंध निदेशक, नवाडको को संबोधित वित्तीय सहायता के लिए आशय पत्र। राशि की आवश्यकता के साथ परियोजना प्रस्ताव के नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना।
2. Justification Statement for the proposal.
   प्रस्ताव के लिए औचित्य वक्तव्य।
3. Waqf Land Registration Certificate / Gazette Notification.
   वक्फ भूमि पंजीकरण प्रमाणपत्र / राजपत्र अधिसूचना।
4. Non-encumbrance certificate from the competent authority or the State Waqf Board where the property is situated.
   सक्षम प्राधिकारी या राज्य वक्फ बोर्ड जहां संपत्ति स्थित है, से गैर-भारोत्तोलन प्रमाण पत्र।
5. Site Location on Google Maps.
   Google मानचित्र पर साइट का स्थान।
6. Site Photographs, images showing the plot / surrounding areas etc.
   साइट फोटोग्राफ, प्लॉट/आसपास के क्षेत्रों को दर्शाने वाले चित्र आदि।
7. Site Plan(s) / Layout(s) depicting plot size & built-up area.
   प्लॉट आकार और निर्मित क्षेत्र को दर्शाने वाले साइट प्लान/लेआउट।
8. Cost of Construction / Project Cost.
   निर्माण की लागत / परियोजना लागत।
9. Bank Guarantee.
   बैंक गारंटी।
10. Revenue Generation Plan / Cashflow exhibiting profit & loss / break-even point, etc.
    राजस्व सृजन योजना / लाभ और हानि / ब्रेक-ईवन पॉइंट आदि प्रदर्शित करने वाला कैशफ्लो।

उक्त योजना के अंतर्गत नेश्नल वक्फ डेव्लपमेंट कार्पोरेशन प्राईवेट लिमिटेड द्वारा निम्न बिज़निस प्लान प्रस्तावित किये गये हैं–

1. Self-Sustaining Model(By appointing Developer)

इसके अंतर्गत विक्सित की जाने वाली वक्फ सम्पत्ति को डेव्लपर द्वारा 30 साल की लीज़ अवधि पर लिया जाएगा एवं डेव्लपमेंट एवं लीज़ अवधि समाप्ति उपरान्त उक्त वक्फ

सम्पत्ति डेव्लपर द्वारा वक्फ संस्था को वापस किये जाने का प्रावधान है। लीज़ अवधि में डेव्लपर द्वारा लीज़ पटटा नियम अनुसार किराया आदि का भुगतान किया जाएगा।

2. Joint Venture Model (By appointing Developer)

इसके अंतर्गत वक्फ की भूमि एक्विटी के रूप में कार्य करेगी। इसमें पार्टी के रूप में वक्फ का मुतवल्ली, राज्य वक्फ बोर्ड, सी.डब्ल्यू.सी., ट्रस्ट एवं नवाडको की हिस्सेदारी रहेगी। नवाडको द्वारा एम.ओ.यू. संधारित की जाएगी एवं क्रियान्वयन एजेन्सी(Implementing Agency) के रूप में कार्य करेगी। इसमें भी वक्फ भूमि 30 साल की लीज़ अवधि पर दिये जाने का उल्लेख है।

3. **NAWADCO as Financer-Cum-Consultant Model**

इसके अंतर्गत वक्फ संस्था का डेव्लपमेंट अथवा निर्माण कार्य वक्फ के स्वंय के रिसोर्सेस से किये जाने का प्रावधान है। स्वंय द्वारा डेव्लपमेंट का कार्य किये जाने की स्थिति में यदि अधिक फण्ड की आवश्यकता हो तो नवाडको से वित्तीय सहायता कुछ शर्तो के साथ वक्फ का प्रबंधक ले सकता है। जिसपर नवाडको द्वारा कंसलटेंसी फीस एवं चार्ज लेगी।

योजना की विस्तृत जानकारी भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की आफिशियल वेबसाईट www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है जिसका अध्ययन भी करें।
उक्त योजना वक्फ सम्पत्तियों के विकास, आय में वृद्धि एवं समाज की आर्थिक स्थिति को सुधारने की धारणा से बनाई गई है। ताकि वक्फ सम्पत्तियों से निरंतर आमदनी पैदा हों जिससे के समाज के शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके एवं वक्फ सम्पत्ति अतिक्रमण होने से बचाया जा सके।

अतः समस्त मुतवल्ली/प्रबंध समितियों को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की गाईड लाइन एवं शर्तों के अनुसार परियोजनाओं को ध्यान में रखकर शीघ्र प्रस्ताव बनाकर कार्यालय मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड को भेजें ताकि विधिवत कार्यवाही कर आपका प्रस्ताव राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम दिल्ली को भेजा जा सके। कृपया इसे प्राथमिकता देवें ताकि योजना से लाभान्वित हो सके। अधिक जानकारी हेतु बोर्ड के दूरभाष 0755–2927408 से सम्पर्क करें।

कृपया इसे प्राथमिकता दें।

(शेख हसरूद्दीन)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म. प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

क्र. 35/ITCELL/2021/4218 भोपाल, दिनांक 02-09-21

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निज सचिव, मान. मंत्री महोदय, मध्यप्रदेश शासन, पिछडर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भोपाल।
2. सचिव, केन्द्रीय वक्फ परिषद, भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़र्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
4. आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण सतपुड़ा भवन, भोपाल।
6. समस्त ज़िला/तहसील वक्फ कमेटी मध्यप्रदेश।
7 समस्त वक्फ प्रबंध कमेटी/मुतवल्ली, मध्यप्रदेश।
8. सचिव, सोल ट्रस्टी शिया दाऊदी बोहरा समाज बद्री महल फोर्ट मुम्बई।
9. आई.टी.सेल मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल, वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म. प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल